भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2889

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

ट्रांसजेंडर समुदाय का उत्थान

2889. श्री राजेश रंजन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कोई गणना की गई है;
(ख) यदि हां, तो इनकी राज्य-वार जनसंख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार उक्त समुदाय को सामाजिक और आर्थिक उत्थान सहित स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं जैसे लाभ प्रदान करने के लिए किसी योजना को लागू कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सरकार की उदासीनता के क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 'अन्य' श्रेणी के अंतर्गत दर्शाई गई कुल जनसंख्या 4.87 लाख है। 'अन्य' श्रेणी में न केवल 'ट्रांसजेंडर' शामिल होंगे, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होगा जो 'अन्य' की श्रेणी में अपने लिंग को रिकॉर्ड करना चाहता हो। 2011 की जनगणना के अनुसार 'अन्य' के राज्य-वार आंकड़े **अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।**

(ग) और (घ): जी, हां। आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) नामक एक योजना, जिसमें "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना" उप-घटक शामिल है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लाभ प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। इसका विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ङ): उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुलग्नक-I

श्री राजेश रंजन द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2889, जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2011 की जनगणना के अनुसार 'अन्य' के राज्य-वार आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	'अन्य' की कुल जनसंख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	47
2	आंध्र प्रदेश	43769
3	अरुणाचल प्रदेश	495
4	असम	11374
5	बिहार	40827
6	चंडीगढ़	142
7	छत्तीसगढ़	6591
8	दादरा और नगर हवेली	43
9	दमन और दीव	59
10	गोवा	398
11	गुजरात	11544
12	हरियाणा	8422
13	हिमाचल प्रदेश	2051
14	जम्मू-कश्मीर	4137
15	झारखंड	13463
16	कर्नाटक	20266
17	केरल	3902
18	लक्षद्वीप	2
19	मध्य प्रदेश	29597
20	महाराष्ट्र	40891
21	मणिपुर	1343
22	मेघालय	627
23	मिजोरम	166
24	नागालैंड	398
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4213
26	ओडिशा	20332
27	पुडुचेरी	252
28	पंजाब	10243
29	राजस्थान	16517
30	सिक्किम	126

31	तमिलनाडु	22364
32	त्रिपुरा	833
33	उत्तर प्रदेश	137465
34	उत्तराखंड	4555
35	पश्चिम बंगाल	30349

अनुलग्नक-II

श्री राजेश रंजन द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2889, जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना उप-घटक वाली आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) नामक योजना का विवरण निम्नानुसार है:

i. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना उप-घटक वाली आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कौशल विकास और आजीविका, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, गरिमा गृह के रूप में सुरक्षित आश्रय, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं, ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ का प्रावधान और अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं।

ii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पीएमजेएवाई योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएचए की आयुष्मान भारत योजना के साथ अभिसरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। 15.02.2026 तक 147 एबी पीएमजेएवाई टीजी कार्ड जारी किए गए हैं।

iii. विभाग ने 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (3), मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिम बंगाल (2) में निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 23 गरिमा गृह स्थापित किए हैं।

iv. पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। यह एक एंड टू एंड ऑनलाइन प्रक्रिया है जहां आवेदक टीजी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी कार्यालय में गए बिना जारी होने के बाद प्रमाण-पत्र डाउनलोड भी कर सकता है। अब तक 32,266 प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

v. अब तक, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 20 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

vi. अब तक अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 27 ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) स्थापित किए गए हैं।

vii. विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसरों आदि तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है।

viii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रीय कौशल परिषदों आदि के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और अब तक 725 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

ix. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) को 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवंटित किया गया है, और अब तक, 125 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

x. इस विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (एलआईएनएसी) में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सहकारी समितियों पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने भाग लिया।

xi. विभाग अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है।

*****